# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**1. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब है?**

**उत्तर:** सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे केंद्र सरकार फंड करती है और लागू करती है। अभी, NMPB औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लागू कर रहा है, जिसे शुरू में कैबिनेट ने नंबर CCEA/21/2008 तारीख 26-06-2008 के तहत मंज़ूरी दी थी।

**2. हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किस तरह के प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं?**

**उत्तर:** इस स्कीम के तहत कई तरह के प्रोजेक्ट सबमिट किए जा सकते हैं, जिसमें एक्स-सीटू, इन-सीटू संरक्षण, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स ऑग्मेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हर्बल गार्डन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और औषधीय पौधों के सेक्टर से जुड़े अन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। स्टेकहोल्डर विभिन्न कंपोनेंट के तहत मुख्य क्षेत्रों के लिए CSS गाइडलाइन देख सकते हैं और गाइडलाइन NMPB की वेबसाइट (www.nmpb.nic.in) पर उपलब्ध है।

3. **"औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम" के तहत ग्रांट-इन-एड पाने का क्या तरीका है?**

**उत्तर:** प्रोजेक्ट प्रस्तावों की मंज़ूरी के लिए दो स्टेज हैं, जिनके नाम हैं प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) और प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC)।

**4. प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) की क्या भूमिका है?**

**उत्तर:** प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) वह कमेटी है जो शुरुआती स्टेज में प्रोजेक्ट्स का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करती है। PSC पूरे साल समय-समय पर हो सकती है। PSC द्वारा रिव्यू और रिकमेंड किए गए प्रोजेक्ट प्रस्तावों को अंतिम मंज़ूरी के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के सामने रखा जाता है।

**5. प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की क्या भूमिका है?**

**उत्तर:** प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा रिकमेंड किए गए प्रोजेक्ट्स को विचार और ग्रांट जारी करने के लिए वित्तीय मंज़ूरी के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के सामने रखा जाता है।

**6. प्रस्ताव तैयार करने/अप्लाई करने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए?**

**उत्तर:** प्रस्ताव तैयार करने के लिए शुरुआती जानकारी स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड/रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर (RCFC) से मिल सकती है, जो हर राज्य/क्षेत्र में उपलब्ध है। SMPB/RCFC का पूरा पता NMPB की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nmpb.nic.in/)

7. **मैं प्रस्ताव कब सबमिट कर सकता हूँ?**

**उत्तर:** प्रस्ताव पूरे साल सबमिट किया जा सकता है।

**8. प्रोजेक्ट प्रस्ताव बनाने और सबमिट करने के बारे में पूरी जानकारी मुझे कहाँ से मिल सकती है?**

**उत्तर:** औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने और जमा करने के बारे में बेसिक जानकारी NMPB की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**9. नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?**

**उत्तर:** ऑनलाइन प्रस्ताव आयुष एनजीओ पोर्टल (http://ngo.ayush.gov.in/) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

**10. प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति (स्वीकृत या अस्वीकृत आदि) की जाँच कैसे करें?**

**उत्तर:** आयुष एनजीओ पोर्टल पर डैशबोर्ड पर जाएं। आवेदन संख्या दर्ज करें और स्थिति जांचें। जमा किए गए फॉर्म/रिपोर्ट देखें।

**11. मैं अपना प्रस्ताव जमा नहीं कर पा रहा/रही हूँ?**

**उत्तर:** सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरे हुए हैं, सत्यापन त्रुटियों का कारण बन सकने वाले विशेष वर्णों का उपयोग करने से बचें, अनुलग्नकों की अनुपस्थिति की जाँच करें, पृष्ठ को रीफ़्रेश करें और पुनः प्रयास करें।

**12. औषधीय पौधों के संरक्षण विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए लागत मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:** आप घटकवार विस्तृत लागत मानदंडों के लिए एनएमपीबी वेबसाइट पर जा सकते हैं।

(https://nmpb.nic.in/sites/default/files/COST%20NORMS.pdf).

**13. अगर ऑनलाइन पोर्टल (आयुष एनजीओ पोर्टल) काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?**

**उत्तर:** ऐसी स्थिति में, आप आयुष ग्रिड (ईमेल:-ayush-grid@gov.in) को अपनी शिकायत लिखकर एनएमपीएफ के आईटी डेस्क को एक प्रति भेज सकते हैं। यदि फिर भी आपको उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है, तो आप एनएमपीएफ के आधिकारिक ईमेल आईडी (यानी, ceo-nmpb@nic.in) पर ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने का स्क्रीनशॉट संलग्न करके एक प्रस्ताव भेज सकते हैं (तकनीकी समस्या)।

**14. परियोजना अन्वेषक, सह-परियोजना अन्वेषक और संगठन की योग्यता/अनुभव क्या होना चाहिए?**

**उत्तर:** परियोजना अन्वेषक और सह-परियोजना अन्वेषक को औषधीय पौधों का अनुभव होना चाहिए और संगठन को औषधीय पौधों से संबंधित गतिविधियों में विशेषज्ञता और कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा वार्षिक रिपोर्ट में तस्वीरों सहित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए।

**15. क्या पीएल और को-पीएल का बायोडेटा और संचार पता अनिवार्य है या नहीं?**

**उत्तर:** जी हां, पीएल और को-पीएल दोनों का बायोडाटा और साथ ही पूरा संचार पता जमा करना अनिवार्य है।

**16. "मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। मैं इसे कैसे रिकवर या रीसेट कर सकता हूँ?"**

**उत्तर:** आप पोर्टल के "लॉगिन विवरण भूल गए?" फीचर के माध्यम से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं।

**कदम:**

1. [आयुष एनजीओ पोर्टल लॉगिन पेज] पर जाएं
2. "लॉगिन विवरण भूल गए?" विकल्प चुनें।
3. अपना पंजीकृत ईमेल पता दर्ज करें।
4. अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपने ईमेल इनबॉक्स में भेजे गए निर्देशों का पालन करें।

**17. पीडीएफ फाइल अपलोड करने में समस्या आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए?**

**उत्तर:** समस्या पीडीएफ फाइल के आकार के कारण हो सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि पीडीएफ फाइल का आकार 10MB से कम हो। यदि आप बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ स्कैन कर रहे हैं, तो कृपया कम रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें ताकि फाइल का आकार छोटा रहे।

**18. उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के परिसमापन के लिए एनएमपीबी द्वारा कौन से अनिवार्य दस्तावेज मांगे जाते हैं**?

**उत्तर:** एनएमपीबी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के परिसमापन के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

- यूसी, एसओई का विधिवत ऑडिट सरकारी लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया हो।
- निधि प्राप्ति न होने का प्रमाण पत्र, वर्षवार विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट

**19. क्या रिपोर्टों पर किसी विशिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** जी हाँ, प्रगति रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी/निहितार्थ प्राधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर और उनके नाम की मुहर होनी चाहिए।

**20. यूसी का सही प्रारूप क्या है?**

**उत्तर:** जीएफआर के अनुसार 12 ए स्वायत्त निकायों के लिए है और 12 सी राज्य सरकार के लिए है।

**21. एनएमपीबी योजना के अंतर्गत यूसी बस्ती की मूल आवश्यकता क्या है?**

**उत्तर:** संगठनों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

i. निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र।
ii. लेखापरीक्षित लेखा विवरण (व्यय विवरण/खर्च पत्रक)।
iii. भौतिक प्रगति का प्रमाणित विवरण।
iv. यदि कोई अप्रयुक्त राशि हो तो उसकी वापसी।
v. अनुदान पर अर्जित ब्याज का विवरण।
vi. यह प्रमाणित करना कि व्यय केवल स्वीकृत मदों के अनुसार ही किया गया है।
vii. निधि प्राप्त न होने का प्रमाण पत्र।
viii. एनएमपीबी अगली किस्त की मंजूरी से पहले वित्तीय और वास्तविक प्रगति दोनों की एक साथ पुष्टि करता है।

**22. क्या हम यूसी प्रारूप को संशोधित कर सकते हैं?**

**उत्तर:** नहीं, यूसी को जीएफआर के मानक प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। प्रारूप में बदलाव करना, मदों को बदलना या खर्चों को आपस में मिलाने की अनुमतिनहीं है।

**23. यूसी की तैयारी में सबसे आम गलतियाँ क्या हैं?**

**उत्तर:** अक्सर देखी जाने वाली विसंगतिया

i. यूसी में प्रति व्यक्ति आंकड़े स्वीकृति आदेश/अनुमोदन से मेल नहीं खाते हैं।
ii. स्वीकृति आदेश, स्वीकृति राशि की तिथि, परियोजना का नाम और वित्तीय वर्ष का मिलान न होना।
iii. यूसी में दर्शाए गए खर्च लेकिन बिल/वाउचर द्वारा समर्थित नहीं।
iv. वास्तविक प्रगति का वित्तीय उपयोग से मेल न खाना।
v. ब्याज का हिसाब नहीं रखा गया।
vi. अनुमोदित सीमा से अधिक उपयोग।
vii. संगठन की मुहर या लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर अनुपस्थित हैं/हस्ताक्षरकर्ता का नाम अनुपस्थित है।
viii. ऑडिट किए गए विवरण और ऑडिट रिपोर्ट के बीच मेल ना होना।

**24. क्या संगठन एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि स्थानांतरित कर सकता है?**

**उत्तर:** पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुमति नहीं है। यूसी में व्यय का विवरण स्वीकृत विवरण के अनुसार ही होना चाहिए।

**25. अप्रयुक्त शेष राशि का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए?**

**उत्तर:** अप्रयुक्त राशि वापस की जानी चाहिए और इसका विवरण एनएमपीबी के साथ साझा किया जाना चाहिए।

**26. यूसी के साथ कौन से सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे?**

**उत्तर:** अनिवार्य दस्तावेज:

i. यूसी जीएफआर निर्धारित प्रारूप के अनुसार, हस्ताक्षर और नाम आधारित मुहर के साथ हस्ताक्षरित।
ii. लेखापरीक्षित उपयोग विवरण/एसओई
iii. हस्ताक्षरित भौतिक प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर)
iv. घटकवार व्यय विवरण।
v. परियोजना खाते का बैंक विवरण।
vi. ब्याज गणना पत्रक.
vii. वापसी का प्रमाण (यदि अप्रयुक्त राशि मौजूद हो)
viii. जीपीएस आधारित तस्वीरें।

**27. यूसी अवधि के लिए किस तिथि का उपयोग किया जाना चाहिए?**

**उत्तर:** यूसी अवधि, प्रतिबंध अवधि और  की तारीख के अनुरूप होनी चाहिए।

उदाहरण: यदि अनुदान 15 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था और परियोजना वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होता है, तो यूसी को केवल इसी तिथि सीमा के भीतर उपयोग दिखाना होगा।

रिलीज की तारीख से पहले या परियोजना की समाप्ति तिथि के बाद व्यय दिखाना अमान्य है।

**28. क्या व्यय अनुदान से अधिक हो सकता है?**

**उत्तर:** नहीं, यूसी को यह प्रमाणित करना होगा कि:

i. व्यय अनुदान से अधिक नहीं होना चाहिए।
ii. व्यय एनएमपीपी द्वारा अनुमोदित घटक-वार सीमा से अधिक नहीं होगा।
iii. किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

**29. यूसी पर किसे हस्ताक्षर करने चाहिए?**

**उत्तर:** यूसी पर हस्ताक्षर होने चाहिए

i. संगठन प्रमुख / परियोजना अन्वेषक
ii. चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर (पंजीकरण संख्या सहित)/वित्त अधिकारी
iii. संगठन की मुहर और परियोजना-विशिष्ट बैंक विवरण
iv. बिना हस्ताक्षर वाले या सीए-सील के बिना यूसी (अध्ययन पत्र) अस्वीकृत कर दिए जाते हैं।

**30. क्या परियोजना के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?**

**उत्तर:** जी हाँ, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार।

**31. यदि यूसी में देरी हो जाए तो क्या होगा?**

**उत्तर:** परिणाम:

i. अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी
ii. परियोजना रद्द की जा सकती है
iii. संगठन को भविष्य में अनुदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
iv. मौजूदा दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार पूरी राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

**32. क्या संगठन अनुमोदन में सूचीबद्ध न किए गए खर्चों को शामिल कर सकते हैं?**

**उत्तर**: नहीं, केवल अनुमोदित घटक/स्वीकृति आदेश ही उपयोग के लिए पात्र हैं।

# अनुभागवार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

## हर्बल गार्डन

**1. हर्बल गार्डन में किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?**

**उत्तर:** संस्थागत हर्बल गार्डन, स्कूल हर्बल गार्डन, राज्य/राष्ट्रीय महत्व का हर्बल गार्डन, नर्सरी/क्यूपीएम और प्रजाति-विशिष्ट अभियान

**2. हर्बल गार्डन परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:**

क. सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और विद्यालय।

ख. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संघ, सहकारी समितियाँ

**3. शतावरी अभियान के लिए प्रस्ताव कहां जमा करें?**

**उत्तर:** शतावरी अभियान के लिए, आपको आयुष एनजीओ पोर्टल पर जाना होगा और केंद्रीय क्षेत्र योजना के उप-घटक आईईसी और प्रशिक्षण का चयन करना होगा।

**4. शतावरी अभियान की परियोजना में किस प्रकार के दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है?**

**उत्तर:** पिछले 3 वर्षों की प्रमाणित लेखापरीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट, दर्पण पोर्टल यूआईडी (गैर-सरकारी संगठन के मामले में) और मुख्य व्यक्ति एवं सह-मुख्य व्यक्ति के बायोडाटा की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

**5. स्कूल हर्बल गार्डन / संस्थागत हर्बल गार्डन और राज्य महत्व के हर्बल गार्डन के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे?**

**उत्तर:** इस मामले में हमें पिछले तीन वर्षों के ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट के अनिवार्य दस्तावेज, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र (विद्यालय हर्बल गार्डन के मामले में विद्यालय के लेटरहेड पर), दर्पण पोर्टल का यूआईडी (गैर-सरकारी संगठन के मामले में), मुख्य व्यक्ति और सह-मुख्य व्यक्ति के बायोडाटा की हस्ताक्षरित प्रति, भूमि दस्तावेज और केएमएल फाइल (संस्थागत और राज्य महत्व के हर्बल गार्डन के मामले में) संलग्न करने होंगे।

**6. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** औषधीय पौधों की सूची कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए।

## अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) अनुभाग

### 7. अनुसंधान एवं विकास अनुभाग में किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?

**उत्तर:** अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) अपनी 'औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश मै सरकारी और निजी विश्वविद्यलयो/ अनुसंधान संस्थानो के लिये ही परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

- कृषि तकनीकों का विकास, नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण आदि।
- जियो टैग डिजिटल लाइब्रेरी का प्रलेखन और विकास
- कच्चे औषधियों के विकल्प का पता लगाना और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना
- जीनोटाइप पहचान, आनुवंशिक सुधार, जीनोम अध्ययन और जर्मप्लाज्म संग्रह एवं संरक्षण, अंतरफसल और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी
- इन-विट्रो प्रवर्धन अध्ययन, सूक्ष्म प्रवर्धन रासायनिक एवं आणविक प्रोफाइलिंग और पादप रसायनों का मूल्यांकन
- फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, भारी धातुओं का आकलन और एकीकृत कीट प्रबंधन
- जैव सक्रियता निर्देशित अंशशोधन अध्ययन आदि।
- औषधीय पौधों की पहचान, लक्षण वर्णन और संरक्षण; किस्मों का विकास और विपणन की संभावनाएँ

गुणवत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जड़ी-बूटी की सही वानस्पतिक पहचान है। उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कई कच्चे औषधि भंडार (आरडीआर) स्थापित करने की आवश्यकता है जो संदर्भ मानकों के रूप में कार्य करने के लिए लागत के आधार पर भारतीय औषधीय पौधों के प्रमाणित नमूने उपलब्ध करा सकें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया RAD घटक के अंतर्गत मुख्य क्षेत्रों के लिए CSS दिशानिर्देश देखें, जो NMPB की वेबसाइट (www.nmpb.nic.in) पर उपलब्ध है।

### 8. अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

**उत्तर:** सभी सुस्थापित सरकारी और गैर-सरकारी संगठन पात्र हैं; उनकी पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं।

- सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएफआरई, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी के अधीन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आयुष विभाग की परिषदें आदि। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योग जिनमें अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं मौजूद हैं

- गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन, जिनके पास सिद्ध विशेषज्ञता और अवसंरचना हो (एजेंसी के पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में पूर्व अनुभव और उपलब्धियों द्वारा प्रमाणित अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए)।

**9. उपकरण/यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:** आवर्ती मद के अंतर्गत, परियोजना कार्यों के लिए आवश्यक चुनिंदा, आवश्यक और विशेषीकृत उपकरणों, मौजूदा ढांचे में संशोधन करने और छोटे-मोटे कार्यों को करने के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

**10. कृषि और संग्रहण की अच्छी प्रथा क्या है?**

**उत्तर:** कृषि एवं संग्रहण पद्धतियाँ (जीएसीपी) औषधीय पौधों और अन्य वानस्पतिक कच्चे माल की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए मानकीकृत दिशानिर्देश हैं। ये पद्धतियाँ उत्पादकों, संग्राहकों, व्यापारियों और हर्बल उद्योग को संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान खेत मैं खेती और प्रोस्सेसिंग से लेकर वन्य संग्रह तक की उत्पादन श्रंखला को एकसमान मानक बनाए रखने में सहायता करती हैं।

**11. मैं किसी औषधीय पौधे की पहचान और प्रमाणीकरण कैसे करूँ?**

**उत्तर:** किसी औषधीय पौधे की सही पहचान और प्रमाणीकरण प्रमुख रूपात्मक विशेषताओं - पत्तियों, तने, फूलों, फलों, गंध और समग्र वजन - का अवलोकन करके और उनकी तुलना औषधीय रोपण सामग्री से करके किया जा सकता है। स्रोत का बुनियादी रिकॉर्ड रखना उचित पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करता है। फार्माकोपिया विवरण, प्रमाणित नर्सरियों का उपयोग और प्रामाणिक औषधीय पौधे सामग्री के लिए GACP आवश्यकताओं का अनुपालन भी आवश्यक है।

**12. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** अन्य आवश्यक दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है।

- संगठन के निदेशक/प्रमुख से एक कवर/सहमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रस्तावित अध्ययन के संबंध में प्रधान अन्वेषक (पीआई) और सह-प्रधान अन्वेषकों (सह-पीआई) के प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता का संक्षिप्त सारांश, पीआई की उम्मीदवारी को प्रमाणित और उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- शोध डिजाइन के साथ-साथ फील्ड लेआउट आदि को अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**13. संरक्षण के अंतर्गत किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?**

**उत्तर:** संरक्षण घटक के अंतर्गत, समर्थित मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए)।
2. यथास्थान संसाधन संवर्धन
3. जेएफएमसी/पंचायतों/वन पंचायतों/बीएमसी/एसएचजी आदि को सहायता प्रदान करना

**14. संरक्षण परियोजना प्रस्तावों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:** औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीएएस) और जेएफएमसी/पंचायतों/वन पंचायतों/बीएमसीएस/एसएचजी आदि को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु राज्य वन/वन्यजीव विभाग/वन विकास निगम से प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। संसाधन संवर्धन के लिए प्रस्तावों पर राज्य वन/वन्यजीव विभाग/वन विकास निगम/स्थानीय/बाह्य क्षेत्र निगम/संघ/स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों से विचार किया जाता है।

**15. क्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है?**

**उत्तर:** जी हां, संरक्षण/संसाधन संवर्धन और जेएफएमसी/बीएमसीएस को सहायता प्रदान करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है।

**16. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** संरक्षण/संसाधन संवर्धन एवं जेएफएमसी/बीएमसी को सहायता प्रदान करने के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भू-निर्देशांक/केएमएल फाइलों सहित स्थल-वार विवरण आवश्यक हैं।

## आईईसी

**17. योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समर्थित मुख्य आईईसी गतिविधियाँ क्या हैं?**

**उत्तर:**

- प्रदर्शनियों/मेलों में नियमित भागीदारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- औशधि वनपति मित्र प्रोग्राम(AVM)
- कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/आरोग्य मेले आदि का आयोजन करना।
- सुविधा केंद्रों की स्थापना
- औषधीय पौधों की प्रजातियों से संबंधित विशिष्ट अभियान
- मल्टीमीडिया और अन्य उपयुक्त संचार साधनों का व्यवस्थित उपयोग
- पत्रिकाओं मैगजीन और न्यूज़लेटरों का प्रकाशन
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी पहल।

**18. आईईसी गतिविधियों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:** मेलों, प्रदर्शनियों/प्रचार सामग्री/आरोग्य मेले में भागीदारी
एनएमबीपी, एसएमबीपी, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थान/विश्वविद्यालय, सरकारी संगठन जिनमें सरकारी संबद्ध संस्थान शामिल हैं, गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन आदि।

**कार्यशालाओं/सम्मेलनों/सम्मेलनों के आयोजन के लिए संस्था।**

केंद्र और राज्य सरकार के संगठन।

- सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों सहित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक/अनुसंधान/शिक्षा संस्थान।
- पंजीकृत पेशेवर और अन्य परोपकारी संगठन जो गैर-लाभकारी आधार पर काम कर रहे हैं।
- औषधीय पौधों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और अनुभव रखने वाले पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) / स्वैच्छिक संगठन / ट्रस्ट।

**19. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** औषधीय पौधों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) / स्वैच्छिक संगठनों / ट्रस्टों द्वारा कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों के आयोजन के लिए आवश्यक शर्तें।

- दर्पण आईडी में एनजीओ का पंजीकरण
- 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट
- निगमन/पंजीकरण/समझौता पत्र (जैसा लागू हो)

**20. क्या गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवक संगठनों/ट्रस्टों के लिए एनजीओ दर्पण आईडी अनिवार्य है?**

**उत्तर:** जी हाँ

**21. क्या अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पैन नंबर अनिवार्य है?**

**उत्तर:** जी हाँ

## संस्थागत सुदृढ़ीकरण

**22. एसएमबीपी और आरसीएफसी के आधिकारिक संपर्क विवरण हमें कहाँ मिल सकते हैं?**

**उत्तर:** राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय की वेबसाइट के एनएमपीबी आउटरीच टैब में विस्तृत संपर्क पता, फोन नंबर और ईमेल आदि उपलब्ध हैं।

**23. एसएमबीपी और आरसीएफसी की भूमिका क्या है?**

**उत्तर:** राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमबीपी) राज्य स्तर पर एनएमबीपी के अंतर्गत समर्थित विभिन्न गतिविधियों के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) क्षेत्रीय स्तर पर एनएमबीपी के अंतर्गत समर्थित विभिन्न गतिविधियों के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी है।

**24. क्या एनएमबीपी औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है?**

**उत्तर:** जी हाँ, एनएमबीपी अपने क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) / अच्छी क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करता है।

**25. क्या एनएमबीपी किसानों को औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है?**

**उत्तर:** जी हां, एनएमपीएफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अपने क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र के माध्यम से औषधीय पौधों के किसानों/उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें संबंधित राज्य में औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

**26. पीएल को गतिविधि रिपोर्ट में कौन-कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए?**

**उत्तर:** पीआई को गतिविधि रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी होगी:

- जीपीएस लोकेशन, गतिविधि की रंगीन तस्वीरें
- स्थान/आयोजन का नाम और विवरण
- तारीख
- नाम आधारित मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

**27. क्या कार्यान्वयन एजेंसी को सभी प्रकाशनों में एनएमबीपी को स्वीकार करना आवश्यक है?**

**उत्तर:** जी हां, सभी मुद्रित/डिजिटल सूचना एवं संचार एवं विकास संबंधी सामग्री, प्रकाशन, पुस्तकें आदि में "राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय" का उल्लेख करना अनिवार्य है, जहां से अनुदान जारी किया गया है।

## एमपीबीसी

**28. एमपीबीसी दिशानिर्देश क्या है?**

**उत्तर:** औषधीय पादप व्यापार केंद्र (एमपीबीसी) दिशानिर्देश आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा औषधीय पादप व्यापार केंद्रों (केंद्रीय और परिधीय) की स्थापना के लिए जारी किया गया आधिकारिक परिचालन ढांचा है। ये दिशानिर्देश औषधीय पादपों के लिए कटाई के बाद, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन अवसंरचना के निर्माण हेतु उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों, वित्तीय सहायता, परियोजना घटकों, कार्यान्वयन अनुसूची, प्रलेखन, अनुदान जारी करने, निगरानी और अनुपालन आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं।

**29. आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?**

**उत्तर:** पात्र संगठनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- केंद्र और राज्य सरकार के निकाय, एसएमपीबी, पीएसयू, अनुसंधान एवं विकास संस्थान
- सहकारी समितियाँ, परिवार कल्याण संगठन, परिवार कल्याण संगठन, गैर सरकारी संगठन
- स्वामित्व वाली फर्में, साझेदारी फर्में, कंपनियां
- औषधीय पौधों के क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी, उद्यम और समूह

**30. एक प्रस्ताव के अंतर्गत कितने एमपीबीसी बनाए जा सकते हैं?**

**उत्तर:** प्रत्येक स्वीकृत परियोजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

1 सेंट्रल एमपीबीसी, और 4 पेरिफेरल एमपीबीसीएस

इस प्रकार, अधिकतम अनुदान (25.0 करोड़ रुपये) के अनुरूप, एक ही प्रस्ताव के तहत कुल 5 एमपीबीसी इकाइयां बनाई जा सकती हैं।

**31. क्या आवेदक संगठन के लिए कोई न्यूनतम टर्नओवर आवश्यकता निर्धारित है?**

**उत्तर:** दिशानिर्देशों में आवेदकों के लिए न्यूनतम हस्तांतरण की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं है। पात्रता संगठन के प्रकार, भूमि की उपलब्धता, इक्विटी निवेश और बैंक मूल्यांकन पर आधारित है।

**32. क्या कृषि भूमि स्वीकार्य है, या केवल गैर-कृषि भूमि को ही प्राथमिकता दी जाती है?**

**उत्तर:** कृषि भूमि स्वीकार्य है, बशर्ते कि आवेदक सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त कर ले। दिशानिर्देश :

- स्वामित्व/30 साल का पट्टा,
- उचित सीएलयू (जहां भी लागू हो)। गैर-कृषि भूमि अनिवार्य नहीं है।

**33. क्या MSME/UDYAM के तहत पंजीकृत स्वामित्व वाली फर्में भी पात्र हैं, या यह योजना केवल साझेदारी फर्मों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर ही लागू होती है?**

**उत्तर**: जी हां, MSME/UDYAM के तहत पंजीकृत स्वामित्व वाली फर्में पात्र हैं।

दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से शामिल हैं:

- स्वामित्व वाली फर्मे
- सहकारी समितियाँ,
- कंपनियाँ,
- एफपीओएस/एफपीसी,
- गैर सरकारी संगठन, व्यापारी, उद्यम आदि।
- इसलिए, यह योजना केवल साझेदारी या निजी लिमिटेड कंपनियों तक ही सीमित नहीं है।

**34. कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** मुख्य दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- डीपीआर (परिशिष्ट-II के अनुसार)
- भूमि स्वामित्व/30-वर्षीय ऋण विलेख
- सीएलयू अनुमति
- बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और सावधि ऋण स्वीकृति
- वित्तीय विवरण, पैन, पंजीकरण
- सीए प्रमाणपत्र, सीई प्रमाणपत्र, वचनबद्धता
- प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी
- जनादेश प्रपत्र और बैंक खाता विवरण
- केएमएल फ़ाइलें

## विपणन एवं आईटी

**35. मार्केटिंग और आईटी में समर्थित मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं?**

**उत्तर:**

- एमएपीएस की खरीद के लिए आईटी समर्पित तंत्रों के माध्यम से प्रचार और सूचना प्रसार।
- MAPS के लिए नेटवर्कयुक्त कृषि मंडियां
- कृषकों का डेटाबेस
- अनुबंध निष्कर्षण (पीएचएम)
- विशेष भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला विकास
- एआई पोर्टल्स का तकनीकी-वाणिज्यिक सूचना के साथ एकीकरण
- ऑनलाइन एमएपी ट्रेड एक्सचेंज बनाना
- कृषक कॉल सेंटर, केवीके आदि के साथ एकीकरण।

**36. मार्केटिंग और आईटी परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?**

**उत्तर:** सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, निजी संगठन

**37. मार्केटिंग और आईटी के माध्यम से किस प्रकार की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है?**

**उत्तर:**

- व्यापार अभ्यासो का दस्तावेजीकरण करना।
- उत्पादकों और खरीदारों दोनों के लाभ के लिए विभिन्न बाजारों में थोक कीमतों, आवक और रुझानों के बारे में जानकारी जुटाना।
- बाजार के आंकड़ों के त्वरित संग्रह और प्रसार के लिए संचार नेटवर्क स्थापित करना ताकि उनका कुशल और समय पर उपयोग किया जा सके।
- किसानों के लाभ के लिए और अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किसान परामर्श तैयार करना और उसे जारी करना।
- किसानों और किस्मों का डेटाबेस विकसित करना।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान कॉल सेंटर पहलों सहित कॉल सेंटरों के माध्यम से औषधीय पौधों का एकीकरण और मुख्यधारा में समावेशन।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने और खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, जंगली और खेती से प्राप्त उत्पादों के संबंध में उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू करना, ताकि खेती को बढ़ावा मिले।
- एचएस कोडों का सरलीकरण।

**38. मैं औषधीय पौधों का वर्तमान बाजार मूल्य कैसे जान सकता हूँ?**

**उत्तर:** औषधीय पौधों के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करने और आसान बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों के प्रचार और विपणन के लिए "ई-चारक" मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल

लॉन्च किया है। "ई-चारक" एक ऐसा मंच है जो देश भर में औषधीय पादप क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से किसानों के बीच सूचना आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। "ई-चारक" एप्लिकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत भर के 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पौधों के पाक्षिक बाजार मूल्य को ई-चारक प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

## एकीकृत घटक

**39. एकीकृत घटक क्या है?**

**उत्तर:** एकीकृत घटक औषधीय उत्पादों के प्रबंधन की आपूर्ति श्रृंखला में एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा शामिल है, साथ ही सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन के लिए सहायता भी शामिल है।

**40. एकीकृत परियोजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?**

**उत्तर:** बुनियादी ढांचे, वास्तु लेआउट, गूगल मैप लोकेशन (जीपीएस), बुनियादी ढांचा गतिविधियों के संबंध में भूमि के गैर-डायवर्जन के लिए वचन पत्र, लाभार्थियों की सूची, उपकरणों की सूची के लिए केएमएल फाइल।

**41. एकीकृत घटक के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?**

**उत्तर:** सरकारी संगठन 100% अनुदान सहायता के पात्र होंगे और निजी संगठन (औषधीय पौधों के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले) 50% अनुदान सहायता के पात्र होंगे।